CNR No.-UPJS040044412012

Presented on : 18-01-2012
Registered on : 18-01-2012
Decided on : 15-07-2026
Duration : 14 years 5 months 28 days

–: निर्णय :–

फार्म– ए

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०(14 वां वि० आ०), झाँसी।
उपस्थित–धीरेन्द्र कुमार (यू.पी.पी.सी.एस.–जे.)
J.O.Code–UP4871
(निर्णय की तिथि –15.07.2026)
दाण्डिक वाद संख्या–1700026/2012
सरकार बनाम कूरे आदि।
मु०अ०सं०–171/2011
धारा–382 भा०द०सं०,
थाना–बरुआसागर, जिला–झाँसी।

परिवादी/शिकायतकर्ता	सरकार
द्वारा	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1– कूरे पुत्र दौलत, उम्र–करीब 75 वर्ष, 2– कल्लू पुत्र कूरे, उम्र– करीब 40 वर्ष, 3– राकेश उर्फ किस्सू पुत्र कूरे, उम्र– करीब 38 वर्ष, 4– हरनारायण पुत्र कूरे, उम्र–करीब 43 वर्ष, समस्त निवासीगण–लाड़ले की टौरिया, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी।
द्वारा अधिवक्ता	श्री रवि शंकर पाण्डेय एडवोकेट श्री विशेष चन्द्र पाठक एडवोकेट

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनाँक–14.09.2011
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनाँक–28.09.2011
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	दिनाँक–05.12.2011
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनाँक–25.04.2015
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनाँक–20.05.2017
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनाँक–08.07.2026
निर्णय का दिनाँक	दिनाँक–15.07.2026
निर्णय	**दोषमुक्त**

अभियुक्तगण का विवरण

क्रम सं०	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी सजा	धारा–428 दं०प्र०सं० के उद्देश्य से अभियुक्त की हिरासत में निरूद्धि की अवधि
1.	कूरे	24.11.2011 को आत्मसमर्पण	24.11.2011 को अंतरिम जमानत व 01.12.2011 को नियमित जमानत	धारा–382 भा०द०सं०	बरी		
2.	कल्लू	24.11.2011 को आत्मसमर्पण	24.11.2011 को अंतरिम जमानत व 01.12.2011 को नियमित जमानत	धारा–382 भा०द०सं०	बरी		
3.	राकेश उर्फ किस्सू	02.10.2011	15.10.2011	धारा–382 भा०द०सं०	बरी		
4.	हरनारायण	02.10.2011	15.10.2011	धारा–382 भा०द०सं०	बरी		

फॉर्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)।
पी०डब्लू०–1	राकेश कुमार कुशवाहा	वादी
पी०डब्लू०–2	भजन लाल	चक्षुदर्शी साक्षी
पी०डब्लू०–3	उ०नि० ओंकार नाथ	एफ०आई०आर० लेखक
पी०डब्लू०–4	निरीक्षक हाकिम सिंह	विवेचक

बी– प्रतिरक्षा साक्षी – **कोई नहीं।**

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो, – **कोई नहीं** ।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या/साबितकर्ता	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी०डब्लू०–1	तहरीर
2.	प्रदर्श क–2/पी०डब्लू०–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क–3/पी०डब्लू०–2	कायमी जी०डी०
4.	प्रदर्श क–4/पी०डब्लू०–2	आरोप–पत्र
5.	प्रदर्श क–5/पी०डब्लू०–2	नक्शा–नजरी

बी– प्रतिरक्षा प्रदर्श – कोई नहीं।
सी– न्यायालय प्रदर्श – कोई नहीं।
डी– वस्तु प्रदर्श – कोई नहीं।

1– प्रस्तुत दाण्डिक वाद सं०–1700026/2012 से संबंधित अपराध में पुलिस थाना–बरुआसागर, जिला–झाँसी द्वारा अभियुक्तगण कूरे, कल्लू, राकेश उर्फ किस्सू तथा हरनारायण उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० –171/2011, धारा–382 भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर अभियुक्तगण का विचारण धारा 382 भा०द०सं० के दण्डनीय अपराध के संदर्भ में किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राकेश कुमार कुशवाहा पुत्र स्व० लक्ष्मण प्रसाद द्वारा थाना–बरुआसागर, जिला–झाँसी पर थानाध्यक्ष बरुआसागर, जिला झाँसी को सम्बोधित तहरीर दिनांकित 28.09.2011 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि– "प्रार्थी मातवाना, बरुआसागर, जिला झाँसी का रहने वाला है। प्रार्थी का खेत नं०–284 बरेठी, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी में स्थित है। प्रार्थी के खेत की उत्तरी सीमा में प्रार्थी के पत्थर के खंबे एवं तार लगे थे, उसके बाद आम रास्ता था व उसके बाद कूरे का खेत लगा था। उक्त कूरे सरकारी रास्ते की जमीन पर कब्जा किए था, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने राजस्व विभाग व अन्य अधिकारियों को की थी, इसी से उक्त कूरे व उसके लड़के प्रार्थी से बुराई मानने लगे। दिनांक 14.09.2011 को सुबह 05 बजे जब प्रार्थी अपने खेत पर पहुंचा तो देखा कि कूरे पुत्र दौलत, राकेश उर्फ किस्सू, हरनारायण, कल्लू पुत्रगण कूरे, सभी निवासी–लाड़ले की टौरिया, बरुआसागर व करीब 10 लोग ट्रैक्टर में प्रार्थी के पत्थर के खंबे व तार चोरी से उखाड़कर, रखकर ले जा रहे हैं। प्रार्थी ने मना किया तो प्रार्थी को गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी दी। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि कूरे पुत्र दौलत, राकेश उर्फ किस्सू, हरनारायण, कल्लू पुत्रगण कूरे, निवासी–लाड़ले की टौरिया, बरुआसागर, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी व उसके 10 साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3– शिकायकर्ता/वादी राकेश कुमार कुशवाहा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना–बरुआसागर पर दिनांक–28.09.2011 को समय–16.25 बजे अभियुक्तगण कूरे, राकेश उर्फ किस्सू, कल्लू, हरनारायण व 10 अज्ञात नाम, पता वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मु०अ०सं० –171/2011, धारा–382 भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई, जिसकी प्रविष्टि दिनांक–28.09.2011 की जी०डी० नकल रपट संख्या–19 (समय 16.25 बजे) में की गयी है।

4– इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हाकिम सिंह द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 तैयार किया गया। सम्बन्धित एवं अपेक्षित साक्षीगण का साक्ष्य संकलित किया गया। विवेचना के दौरान संकलित संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण कूरे, राकेश उर्फ किस्सू, कल्लू व हरनारायण के विरुद्ध मु०अ०सं० –171/2011, धारा–382 भा०द०सं० में आरोप–पत्र प्रदर्श क –4 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को जरिए समन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये।

6– दिनांक–25.04.2015 को अभियुक्तगण कूरे, राकेश उर्फ किस्सू, कल्लू व हरनारायण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–382 भा०द०सं० विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की मांग की। अतः विचारण प्रारम्भ हुआ।

7– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा, पी०डब्लू०–2 भजन लाल, पी०डब्लू०–3 उ०नि० ओंकार नाथ तथा पी०डब्लू०–4 निरीक्षक हाकिम सिंह को परीक्षित कराया गया है।

8– प्रलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रपत्रों में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–3, आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 तथा नक्शा–नजरी प्रदर्श क–5 पेश किये गये हैं, जिन्हें संबंधित साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक–08.01.2026 को अंकित किये गए। अभियुक्तगण ने उनके विरुद्ध लगाये गए आरोप को गलत बताते हुए साक्षीगण द्वारा गलत गवाही दिए जाने का कथन किया और मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुए व वादी से मिलकर विवेचक द्वारा गलत आरोप–पत्र प्रेषित करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा कि उक्त केस के वादी ने उनकी जमीन पर लगे पेड़ काट दिये व आम रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करने पर उक्त फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। इस संबंध में उन्होंने दीवानी मुकदमा लिखवाया था। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किये जाने के बावजूद अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया और दिनांक 12.03.2026 को सफाई साक्ष्य नहीं देने का पृष्ठांकन आदेश–पत्रक पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया, जिस कारण दिनांक 12.03.2026 को पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

10– मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस तथा विस्तृत तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया।

अवधार्य बिन्दु :–

11– प्रस्तुत मामले में अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखे रखने के लिए वादी पक्ष की मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् अभियुक्तगण कूरे, कल्लू, राकेश ऊर्फ किस्सू तथा हरनारायण दिनांक 14.09.2011 को समय 05.00 बजे सुबह वादी के खेत नं०–284 बरेठी, ग्राम बरेठी, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी में वादी के खेत में लगे पत्थर के खंभे व तार को चोरी से उखाड़कर ट्रैक्टर में ले गये।

12– अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–382 भा०द०सं० का आरोप लगाया गया है। **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–382** में प्रावधान किया गया है कि:– "जो कोई चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात्, निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखे रहने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपहति का, या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

13– अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित हुए हैं या नहीं, न्यायालय द्वारा यही विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना है।

<u>अभियोजन साक्ष्य :</u>–

14– अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण ने निम्नलिखित साक्ष्य दिया है –

पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा (वादी) ने अपने सशपथ बयान के दौरान मुख्य परीक्षा में कहा है कि –"मेरा खेत नम्बर 284 जो ग्राम बरेठी, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी में स्थित है। मेरे इसी खेत के उत्तरी सीमा में मेरे खम्भे व तार लगे हुये थे उसके बाद सरकारी आम रास्ता था। उसके बाद कूरे मुल्जिम का खेत लगा हुआ था। मुल्जिम कूरे सरकारी आम रास्ता पर कब्जा किये हुये थे, जिसकी शिकायत मैंने राजस्व अधिकारियों व अन्य अधिकारियों से की थी। इसी वजह से कूरे मुझसे बुराई मानने लगे। दिनांक–14.09.2011 को सुबह 5 बजे जब मैं अपने खेत पर पहुँचा तो मैंने देखा कि कूरे व उसके लड़के राकेश उर्फ किस्सू, कल्लू, हरनारायन, व उनके साथ अन्य 10 लोग मेरे खेत की सीमा से लगे पत्थर के खम्भे व तार चोरी से उखाड़ कर ट्रैक्टर में रख रहे थे। मैंने मना किया तो मुझे गन्दी–गन्दी गालियां दीं व जान से मारने की धमकी दीं। मौके पर भजन लाल, सुरेश, सुनील, बाल किशन आदि लोग आ गये थे। मुल्जिमान मेरे तार और खम्भे ट्रैक्टर में रख कर लेकर चले गये थे। मैं उसी दिन थाना बरुआसागर गया, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैं उसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , झाँसी के पास गया और रिपोर्ट लिखवाने बावत अपना प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, जिसका मैं इलाज कराता रहा। तबियत ठीक होने के उपरान्त दिनांक–28.09.2011 को तहरीर देकर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। शामिल मिसिल तहरीर कागज सं०–5ए मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिनकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मैं अपने खेत व मुकदमे से सम्बन्धित 14 दस्तावेज की प्रतियां शामिल मिसिल करता हूँ। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

15– **पी०डब्लू०–2 भजन लाल** (चक्षुदर्शी साक्षी) ने अपने सशपथ बयान के दौरान मुख्य परीक्षा में कहा है कि –"घटना दिनांक–14.09.2011 की है। सुबह 5 बजे का समय था मैं टहलने के लिये नई बस्ती के आगे गया था। जब मैं राकेश वकील साहब के खेत के पास पहुँचा तो देखा कि एक ट्रैक्टर में पत्थर के खम्भे एवं फेंसिंग के तार लदे हुये हैं। राकेश वकील साहब ने मुल्जिमान कूरे, कल्लू, राकेश व हर नारायण को पत्थर के खम्भे व फेंसिंग के तार चोरी से ले जाने से रोका तो चारों मुल्जिमान राकेश वकील साहब को माँ–बहन की बुरी–बुरी गालियां देने लगे तथा वह भी कह रहे थे कि अगर तुमने किसी, यह चोरी की बात बतायी तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। मैं चारों मुल्जिमान को मौके पर भली प्रकार से पहचान लिया था। इसके बाद राकेश ट्रैक्टर लेकर चला गया। मुल्जिम राकेश ट्रैक्टर चलाकर ले गया था। उसमें कूरे, कल्लू व हर नारायण बैठे हुये थे। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।"

16– **पी०डब्लू०–3 उ०नि० ओंकार नाथ** (एफ०आई०आर० लेखक) ने अपने सशपथ बयान के दौरान मुख्य परीक्षा में कहा है कि –"मैं दिनांक–28.09.2011 को थाना बरुआसागर में का० मुहर्रिर के पद पर तैनात था। वादी मुकदमा उस दिन राकेश कुमार कुशवाहा द्वारा एक लिखित हिन्दी तहरीर थाने में दिया, जिसके आधार पर चिक संख्या 91/11 पर

मु०अ०सं०–171/2011 अन्तर्गत धारा–382 भा०दं०सं० विरुद्ध कूरे पुत्र दौलत आदि 04 नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। मूल प्रतिलिपि एफ०आई०आर०, जो पत्रावली में संलग्न कागज सं०–4 ए है, वो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। मेरे द्वारा पत्रावली में कागज सं०–7 ए दाखिल किया गया है, जिस पर नकल रपट नं० 19 समय 16:25 दिनांक–28.09.2011 रोजनामचा आम मेरे द्वारा कायम किया गया था, जो मूल रोजनामचा आम के साथ तैयार की जाती है। मेरे द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का खुलासा दिनांक 28.09.2011 को समय 16:25 बजे रोजनामचा आम के रपट नं०–19 में किया गया था। उक्त रोजनामचा आम की कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है, जो कागज सं०–7 ए है, जो मूल को तैयार करते समय कार्बन लगाकर एक ही प्रॉसेस में तैयार की गयी थी। उक्त रोजनामचा आम कागज सं० 7 ए मेरे लेख व हस्ताक्षर की कार्बन प्रति है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। उपनिरीक्षक हाकिम सिंह मेरे साथ रहे हैं। वे इस अभियोग के विवेचक हैं। मैंने काम–काज के दौरान उनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते हुए देखा है, जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं भली–भांति जनता पहचानता हूँ। पत्रावली संलग्न कागज सं० –3 ए उपनिरीक्षक हाकिम सिंह के लेख व हस्ताक्षर का आरोप पत्र है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं०–13 ए नक्शा–नजरी उपनिरीक्षक हाकिम सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है, जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं भली प्रकार जानता पहचानता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। "

17– **पी०डब्लू०–4 हाकिम सिंह** (विवेचक) ने अपने सशपथ बयान के दौरान मुख्य परीक्षा में कहा है कि –"मैं थाना बरुआसागर में बतौर उपनिरीक्षक सन् 2011 में कार्यरत था। मेरे कार्यकाल के दौरान मु०अ०सं०–171/2011 धारा 382 भा०दं०सं० बनाम 1. कूरे पुत्र दौलत, 2. राकेश उर्फ किस्सू पुत्र कूरे, 3. हर नारायन पुत्र कूरे, 4. कल्लू पुत्र कूरे समस्त निवासी लाले की टौरिया, थाना बरुआसागर की विवेचना मेरे द्वारा की गयी। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। नक्शा नजरी तैयार किया। सी०डी० संख्या–1 दिनांक–29.09.2011 को किता किया था, जिसमें नकल तहरीर हिन्दी वादी व नकल रपट व बयान एफ०आई०आर० लेखक का अंकन किया था व सी०डी० संख्या–2 दिनांक–30.09.2011 को किता किया था, जिसमें बयान वादी व बयान गवाह व बयान चश्मदीद गवाह श्री भजन लाल व वादी की निशानदेही पर मौके का निरीक्षण किया गया था व समई साक्षियों के बयान अंकित किये गये थे। पर्चा नं० 3 दिनांक–02.10.2011 को किता किया गया था, जिसमें एफ०आई०आर० में नामित अभियुक्तगण राकेश उर्फ किस्सू आदि का बयान अंकित किया गया। सी०डी० नं० –4 दिनांक–04.10.2011 को किता की गयी थी, जिसमें बयान गवाह सुनील कुशवाहा, बयान गवाह बालकिशन अंकित किया था व सी०डी० नं० 5 दिनांक–12.10.2011 को किता की गयी, जिसमें बयान गवाह सुरेश व बयान गवाह बालचन्द्र व स्वतंत्र साक्षियों के बयान अंकित किये गये। पर्चा नं० –6 दिनांक–15.10.2011 को किता किया गया है, जिसमें माल व शेष अभियुक्त कूरे व कल्लू की तलाशी का वर्णन अंकित किया है व सी०डी० नं०–7 दिनांक–20.10.2011 को किता किया गया, जिसमें वांछितों की गिरफ्तारी का प्रयास व स्वतंत्र साक्षियों के बयान अंकित किये गये हैं। पर्चा नं० –8 दिनांक–26.11.2011 को किता किया गया, जिसमें बयान स्वतंत्र साक्षीगण के अंकित किये गये हैं। सी०डी० नं०–9 दिनांक–05.12.2011 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त कूरे पुत्र दौलत, कल्लू पुत्र कूरे के बयान अंकित किये गये हैं। तत्पश्चात चोरी के माल के विषय में तलाश व जानकारी की गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। उपरोक्त प्रकरण की विवेचना कर संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र सं०–108/11 माननीय न्यायालय अपराध बखूबी पाये जाने के पश्चात

आरोप पत्र प्रेषित किया गया। नक्शा–नजरी व आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। दिनांक–16.07.2022 साक्षी ओंकार नाथ, जो मेरे साथ तैनात रहे, उनके द्वारा आरोप–पत्र व नक्शा नजरी पर क्रमशः **प्रदर्श क–4 व क–5** डाला गया है।"

18– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क करते हुए एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का समर्थन करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.09.2011 को सुबह 5 बजे वादी के खेत पर खेत की सीमा से लगे पत्थर के खम्भे व तार चोरी से उखाड़ कर ट्रैक्टर में रख लिए गए और वादी द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर तार व खम्भे ट्रैक्टर में रखकर लेकर चले गये। अभियोजन साक्षियों की मौखिक साक्ष्य एवं पत्रावली पर दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य से अभियोजित घटना साबित है। अभियुक्तगण ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 382 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षों में पूर्व से रंजिश चली आ रही है। चकरोड व रास्ते पर अवैध कब्जे को लेकर पक्षकारों में पूर्व से विवाद है, जिस कारण वादी मुकदमा द्वारा यह झूठा अभियोग अभियुक्तगण के विरुद्ध संस्थित किया गया है। अन्य तर्कों में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि घटना दिनांक 14.09.2021 को सुबह 05 बजे की दर्शायी गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत विलंब से दिनांक 28.09.2011 को पंजीकृत कराई गई है, जिसके संबंध में कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है और वादी, एफ०आई०आर० लेखक व विवेचक के अतिरिक्त जिस चौथे साक्षी भजन लाल को बतौर स्वतंत्र साक्षी परीक्षित कराया गया है, उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वह वादी राकेश कुशवाहा का हितबद्ध साक्षी है व दोनों ही पेशे से अधिवक्ता हैं एवं आपस में अच्छे संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त किस औजार से खम्भे व तार उखाड़े गये, इसका कोई उल्लेख अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में नहीं है। इस प्रकार घटना से सम्बन्धित विवरण में विभिन्न विसंगतियां होने, साक्षियों के बयानों में कथित घटना में प्रयुक्त औजार के बिन्दु पर कोई स्पष्ट कथन न किये जाने, घटना के समय के बिन्दु पर भिन्नता व विरोधाभास होने और तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 की प्रतिपरीक्षा में अत्याधिक विरोधाभाष दर्शित होने के आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद होने का कथन करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। अतएव अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

19– प्रकरण में दोनों पक्षों का स्वीकार्य कथन है कि उनके मध्य रंजिश चली आ रही है। रंजिश एक दोधारी तलवार है, जो झूठा फंसाये जाने का कारण भी हो सकती है तथा अपराध कारित किए जाने का कारण भी हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में न्यायालय का यह दायित्व है कि वह साक्षीगण की साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण सम्यक सावधानी बरतते हुए करे।

पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि "मेरा खेत नम्बर 284 जो ग्राम बरेठी, थाना बरुआसागर, जिला झाँसी में स्थित है। मेरे इसी खेत के उत्तरी सीमा में मेरे खम्भे व तार लगे हुये थे उसके बाद सरकारी आम रास्ता था। उसके बाद कूरे मुल्जिम का खेत लगा हुआ था। मुल्जिम कूरे सरकारी आम रास्ता पर कब्जा किये हुये थे, जिसकी शिकायत

मैंने राजस्व अधिकारियों व अन्य अधिकारियों से की थी। इसी वजह से कूरे मुझसे बुराई मानने लगे। दिनांक–14.09.2011 को सुबह 5 बजे जब मैं अपने खेत पर पहुँचा तो मैंने देखा कि कूरे व उसके लड़के राकेश उर्फ किस्सू, कल्लू, हरनारायन, व उनके साथ अन्य 10 लोग मेरे खेत की सीमा से लगे पत्थर के खम्भे व तार चोरी से उखाड़ कर ट्रैक्टर में रख रहे थे। मैंने मना किया तो मुझे गन्दी–गन्दी गालियां दीं व जान से मारने की धमकी दीं। मौके पर भजन लाल, सुरेश, सुनील, बाल किशन आदि लोग आ गये थे। मुल्जिमान मेरे तार और खम्भे ट्रैक्टर में रख कर लेकर चले गये थे। मैं उसी दिन थाना बरुआसागर गया, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैं उसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के पास गया और रिपोर्ट लिखवाने बावत अपना प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, जिसका मैं इलाज कराता रहा। तबियत ठीक होने के उपरान्त दिनांक–28.09.2011 को तहरीर देकर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। शामिल मिसिल तहरीर कागज सं०–5 ए मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिनकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मैं अपने खेत व मुकदमे से सम्बन्धित 14 दस्तावेज की प्रतियां शामिल मिसिल करता हूँ। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।" इस प्रकार उक्त साक्षी ने कथित घटना का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने थाने पर तहरीर दी थी। साक्षी ने तहरीर कागज सं०–5 ए पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए उसे प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है, जिससे यहां तहरीर का निष्पादन तो साबित है, किन्तु तहरीर की विषयवस्तु किस हद तक साबित है, इस हेतु अभियोजन साक्ष्य को तर्क की कसौटी पर परखना आवश्यक है।

20– पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा का कथन है कि दिनांक 14.09.2011 को सुबह 05 बजे जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो देखा कि कूरे व उसके लड़के राकेश उर्फ किस्सू, कल्लू, हरनारायण व उनके साथ अन्य 10 लोग उसके खेत की सीमा से लगे पत्थर के खंभे व तार चोरी से उखाड़कर ट्रैक्टर में रख रहे थे। उसने मना किया तो उक्त लोगों ने उसे गन्दी–गन्दी गालियां दीं व जान से मारने की धमकी दी। मौके पर भजन लाल, सुरेश, सुनील, बालकिशन आदि लोग आ गए तो मुल्जिमान उसके तार और खंभे ट्रैक्टर में रखकर ले गये। वह उसी दिन थाना बरुआसागर गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो उसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के पास गया और रिपोर्ट लिखवाने बावत् अपना प्रार्थना–पत्र दिया। उसके बाद उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, जिसका वह इलाज कराता रहा। तबियत ठीक होने के उपरांत दिनांक 28.09.2011 को तहरीर देकर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। उल्लेखनीय है कि वादी/ पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह के दौरान प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–5 पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **<u>मेरी पत्नी करीब 13–14 दिन बीमार रही थी।</u> मैं हरिद्वार पतंजलि से इलाज कराने गया था। मैं 14.09.2011 को रात को गया था और 27.09.2011 को वापस आया था। मेरी पत्नी को सदमा बैठ गया था और हाथ–पैरों में अकड़न थी। मैं दिनांक 27.09.2011 को गाड़ी से 12 बजे लौटा था। मैं थाने 28.09.2011 को गया था और 28.09.2011 को थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी**। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–4 पर जिरह के दौरान उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **प्रथम सूचना लिखाते समय मुझसे विलंब का कारण पूछा गया था, जिसका जवाब मैंने यह लिखाया था कि मेरी पत्नी बीमार हो गई थी।** उल्लेखनीय है कि रोजनामचा कागज सं०–14 ए की पुश्त पर वादी राकेश कुमार कुशवाहा द्वारा धारा 161 द०प्र०सं० के अंतर्गत विवेचक को दिया गया बयान अंकित है, जिसमें उससे विवेचक ने प्रश्न किया है कि–**आप यह बतायें कि इतने दिनों बाद विलंब से रिपोर्ट क्यों लिखाई है?** जिसके उत्तर में वादी/साक्षी ने कहा है कि **श्रीमान् जी <u>मेरे पिताजी बीमार</u> थे, जिनका इलाज**

कराता रहा, इसी कारण से विलंब हो गया है। उपरोक्त कथनों के तुलनात्मक विश्लेषण से दर्शित होता है कि जहां एक ओर वादी/पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने कथित घटना दिनांक 14.09.2011 के 14 दिन बाद दिनांक 28.09.2011 को थाना बरुआसागर पर विलंब से रिपोर्ट पंजीकृत कराने के संबंध में विवेचक को यह कारण दर्शाया है कि उसके पिताजी बीमार थे, जिनका वह इलाज कराता रहा और रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हो गया, वहीं दूसरी ओर न्यायालय में मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी ने विलंब से रिपोर्ट पंजीकृत कराने के संबंध में यह कारण दर्शाया है कि उसकी पत्नी बीमार थी, जिसका इलाज कराने हेतु वह पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार गया था, जिस कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हो गया। इस प्रकार उक्त साक्षी के स्वयं के बयानों में स्पष्ट विसंगति व विरोधाभास है। बचाव पक्ष का तर्क है कि यदि मान भी लिया जाये कि वादी मुकदमा की पत्नी बीमार थी, जिसके इलाज हेतु वह पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार गया था, उस स्थिति में वादी मुकदमा को कोई ट्रेन टिकिट, कोई इलाज का पर्चा या कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करना चाहिए, किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क में न्यायालय बल पाता है, क्योंकि प्रथमतः तो वादी द्वारा विलंब से रिपोर्ट पंजीकृत कराने के संबंध में विवेचक से अपने पिता के बीमार होने के संबंध में, जबकि न्यायालय से अपनी पत्नी के बीमार होने के संबंध में विरोधाभासी कथन किए गये हैं, वहीं यदि उसके इस कथन को सत्य मान लिया जाये कि वह अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार गया था, तो इस संबंध में उसे साक्ष्य के तौर परकोई ट्रेन टिकिट, कोई इलाज का पर्चा या कोई अन्य दस्तावेज दाखिल करना चाहिए था, किन्तु उसे ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक दूषित है और साक्षी के उक्त कथन कथित घटना को संदेहास्पद बनाते हैं।

21– पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–9 पर द्वितीय प्रस्तर में कथन किया है कि **कूरे ने मेरे विरुद्ध मुकदमा नं०–222/11 सिविल जज जूनियर डिवीजन, झाँसी के यहां एक मुकदमा उसकी जमीन की कब्जा दखल में मजाहमत पैदा न करने के बावत् किया था। वह मुकदमा चला था, जो मैं जीत गया था। <u>घटना वाले दिन</u> न्यायालय के आदेश से <u>अमीन</u> उक्त सिविल के मुकदमे का <u>निरीक्षण करने गया</u> था। <u>जिस समय अमीन साहब मौके निरीक्षण करने गये थे</u>, <u>उस समय दिन के 11 बजे</u> <u>थे। मैं व गवाह भजन उपस्थित थे</u>।** पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा के बयान का समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–6 पर कथन किया है कि **<u>घटना वाले दिन अमीन निरीक्षण करने आया था।</u> उस दिन <u>मैं घटनास्थल पर उपस्थित था</u> और <u>अमीन आख्या पर अपने हस्ताक्षर किए थे</u>। घटनास्थल से जब मैं वापस आ रहा था, तो रास्ते में अमीन मिल गया, फिर मैंने दोबारा जाकर अमीन आख्या तैयार करवाई। <u>अमीन घटनास्थल के पास रास्ते में मिल गया था। सुबह 05.30 बजे के बीच अमीन मिल गया था</u>। <u>मुल्जिमान सवा पाँच बजे चले गये थे</u>। <u>अमीन साढ़े पांच बजे पहुंच गया था</u>।** उपरोक्त साक्षीगण के उपर्युक्त कथनों के आलोक में पत्रावली पर अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में सूची दिनांकित 12.03.2026 से दाखिल मूलवाद सं०–222/2011 कूरा बनाम राकेश कुमार में स्थल निरीक्षण संबंधी अमीन आख्या दिनांकित 14.09.2011 की सत्य प्रतिलिपि व उपस्थिति आख्या दिनांकित 14.09.2011 की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से यह तथ्य तो निःसंदेह रूप से साबित होता है कि कथित घटना दिनांक 14.09.2011 को मूलवाद सं०–222/2011 कूरा बनाम राकेश कुमार में स्थल निरीक्षण हेतु न्यायालय अमीन घटनास्थल पर गये थे और उस समय भजन लाल मौके पर उपस्थित था, क्योंकि उसके हस्ताक्षर उपस्थित आख्या पर अंकित हैं और उसने अपने बयान में उपस्थिति

आख्या पर अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य स्वीकार किया है, किन्तु पी०डब्लू०–1 राकेश द्वारा घटना दिनांक 14.09.2011 को अमीन द्वारा निरीक्षण हेतु मौके पर सुबह 11 बजे उपस्थित होने का कथन किये जाने व इसके विपरीत पी०डब्लू०–2 भजन लाल द्वारा दिनांक 14.09.2011 को अमीन द्वारा निरीक्षण हेतु मौके पर सुबह 05.30 बजे उपस्थित रहने का कथन किए जाने से स्पष्ट है कि साक्षीगण के कथन आपस में विरोधाभासी हैं, जोकि उनकी साक्ष्य की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है।

22– पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 14.09.2011 की सुबह 05 बजे की घटना बताते हुए प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–3 के प्रारंभ में कहा है कि **ये घटना सुबह 5 बजे की है। मैं रोज सुबह अपने खेत पर घूमने जाता हूं। मैं घटना वाले दिन पौने चार (03.45) बजे सुबह घर से निकला था।** पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने भी मुख्य परीक्षा में कथित घटना दिनांक 14.09.2011 को समय सुबह करीब 05 बजे घटित होना बताते हुए प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–3 के प्रारंभ में कहा है कि **मैं घटनास्थल पर सुबह 5 बजे पहुंच गया था। राकेश वकील साहब घटनास्थल पर थे। इन 4 मुल्जिमों के अलावा 5–6 लोग और थे, जो ट्रैक्टर में बैठे थे। जब मैं मौके पर पहुंचा तो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। उस पर कूरे, कल्लू व हर नारायण भी बैठे हुए थे। लगभग 10 मिनिट बाद ट्रैक्टर मेरे सामने ले गये थे।** इस प्रकार यहां उपरोक्त दोनों साक्षीगण ने घटना का समय सुबह 05 बजे बताते हुए अपनी उपस्थिति घटनास्थल पर सुबह 05 बजे दर्शायी है और मौके से मुल्जिमान के 05.15 बजे चले जाने का कथन किया है। पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने मौके पर अभियुक्तगण, 5–6 अज्ञात व्यक्तियों सहित वादी राकेश कुमार कुशवाहा को घटनास्थल पर उपस्थित बताया है, परंतु जहां एक ओर पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पृष्ठ सं०–9 पर अंकित कराया है कि **घटना वाले दिन न्यायालय के आदेश से अमीन उक्त सिविल के मुकदमे का निरीक्षण करने गया था। जिस समय अमीन साहब मौका निरीक्षण करने गये थे, <u>उस समय दिन के 11 बजे मैं व गवाह भजन उपस्थित थे</u>**, वहीं दूसरी ओर पृष्ठ सं०–5 की अंतिम पंक्तियों में पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने कहा है कि **<u>उस दिन घूमने के बाद मैं घर लगभग 7.15 बजे पहुंच गया था। उसी दिन मैं निवाड़ी अदालत के लिए घर से 10 बजे निकल गया था।</u> निवाड़ी मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। <u>उस दिन मैं शाम को निवाड़ी से 6 बजे घर लौटा था। सुबह घटनास्थल से लौटकर मैं घर आया था। घर से और कहीं नहीं गया था, सिर्फ निवाड़ी अदालत गया था।</u>** इस प्रकार उपरोक्त दोनों कथनों में साम्य स्थापित करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां एक ओर पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने घटनास्थल से सुबह 7.15 बजे वापस अपने घर लौट आने और वकालत हेतु सुबह 10 बजे निवाड़ी चले जाने व शाम को 06 बजे निवाड़ी से लौटने का कथन किया है, वहीं दूसरी ओर पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार ने भजन लाल को उसके साथ सुबह 11 बजे अमीन निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–6 पर पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने कथन किया है कि **घटना वाले दिन अमीन निरीक्षण करने आया था। <u>उस दिन मैं घटनास्थल पर उपस्थित था और अमीन आख्या पर अपने हस्ताक्षर किए थे।</u>** और पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पृष्ठ सं०–9 पर कथन किया है कि **घटना वाले दिन न्यायालय के आदेश से अमीन उक्त सिविल के मुकदमे का निरीक्षण करने गया था। जिस समय अमीन साहब मौका निरीक्षण करने गये थे, <u>उस समय दिन के 11 बजे मैं व गवाह भजन उपस्थित थे</u>।** उल्लेखनीय है कि अमीन की उपस्थिति आख्या दिनांकित 14.09.2011 की सत्य प्रतिलिपि के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 14.09.2011 को सुबह 11 बजे न्यायालय अमीन मौके पर पहुंचे थे और दो घंटे मौके पर रुकने के बाद अपनी आख्या तैयार की, जिस पर भजन लाल ने हस्ताक्षर किए। अतः

पी०डब्लू०–2 भजन लाल द्वारा घटना के दिन दिनांक 14.09.2011 को वकालत हेतु सुबह 10 बजे निवाड़ी चले जाने व शाम को 06 बजे निवाड़ी से लौटने के न्यायालय के समक्ष किए गए कथन असत्य सिद्ध होते हैं और यह स्पष्ट होता है कि वह घटना दिनांक को सुबह 05.00 बजे के आसपास मौजूद न होकर सुबह 11 बजे मौके पर मौजूद था। स्पष्टतया उपरोक्त कथन गवाहान की साक्ष्य को संगतता व एकरूपता प्रदान नहीं करता है और साक्षी की साक्ष्य को कथित खंभे व तार चोरी करने की कथित घटना के परिप्रेक्ष्य में संदिग्ध बनाता है।

23– पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने अग्रेतर पृष्ठ सं०–6 पर कथन किया है कि **मौके पर ट्रैक्टर के अलावा और कोई वाहन नहीं था। उस दिन मैं दोबारा मौके पर नहीं गया। दूसरे दिन रोज की तरह घूमने गया था।** जबकि पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–6 के अंत व पृष्ठ सं०–7 के प्रारंभ में कहा है कि **कुल 10 लोग खंभे उखाड़ रहे थे। चार लोग कूरे, राकेश उर्फ किस्सू, हरनारायण एवं कल्लू थे, 6 लोगों को शक्ल जानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ, कुल 14 लोग थे। जिसमें से 4 लोग ट्रैक्टर पर बैठे थे। मैंने मौके पर जाकर इन लोगों का विरोध किया तो सभी लोगों ने मुझे गन्दी–गन्दी गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर गवाह भजन लाल, बालकिशन, सुरेश, सुनील और बहुत से लोग आये थे।** पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने पृष्ठ सं०–8 के प्रारंभ में कहा है कि **मेरे सामने ही सुरेश, सुनील व बालकिशन व बालचन्द्र आये थे। ये चारों लोग मोटर साईकिलों से आये थे। दो या तीन मोटर साईकिलें थीं। मोटरसाईकिल से गवाह उत्तर की दिशा से आये थे। कौन मोटर साईकिल चला रहा था, इतना ध्यान नहीं है। गवाह घटनास्थल पर 15–20 मिनिट रुके होंगे। ट्रैक्टर राकेश उर्फ किस्सू चला रहे थे।** स्पष्ट है कि जहां एक ओर पी०डब्लू० –2 भजन लाल ने घटनास्थल पर कथित घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन को मौके पर मौजूद नहीं बताया है, वहीं दूसरी ओर वादी/पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने घटनास्थल पर कई लोगों के साथ–साथ भजन लाल, बालकिशन, सुरेश व सुनील को दो या तीन मोटर साईकिलों से मौजूद आना बताया है। इसके साथ ही जहां एक ओर पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–3 पर कथन किया है कि **मैं घटनास्थल पर सुबह 5 बजे पहुंच गया था। मैं लगभग प्रतिदिन 4 बजे घर से टहलने के लिए निकल जाता हूँ। उस दिन मैं पैदल ही गया था।** वहीं दूसरी ओर पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा ने पृष्ठ सं०–8 के प्रारंभ में कहा है कि **मेरे सामने ही सुरेश, सुनील व बालकिशन व बालचन्द्र आये थे। ये चारों लोग मोटर साईकिलों से आये थे। दो या तीन मोटर साईकिलें थीं।** और पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–4 के मध्य में कहा है कि **मैंने दरोगा जी से घटनास्थल पर पहुंचने का समय बताया था। यदि दरोगा जी ने मेरे बयानों में वह बात न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। 3–4 लोग और थे, जो राकेश वकील साहब की तरफ से होंगे या नहीं, यह मैं नहीं बता सकता। मैं उन लोगों को नाम से नहीं जानता था। मेरे आने से पहले वे लोग आ चुके थे।** और पी०डब्लू०–1 ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं०–8 के प्रारंभ में कहा है कि **गवाह घटनास्थल पर 15–20 मिनिट रुके होंगे।** स्पष्ट है कि जहां वादी/पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार ने पी०डब्लू०–2 भजन लाल द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने हेतु मोटर साईकिल का प्रयोग किए जाने का कथन किया है, वहीं पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने अपने घर से लगभग दो–ढाई किलोमीटर दूर मौके पर सुबह 05 बजे पैदल पहुंचने का कथन किया है। साथ–ही–साथ जहां एक ओर पी०डब्लू०–2 भजन लाल ने मौके पर उसके व वादी के अतिरिक्त 3–4 अन्य लोगों के मौजूद होने व मौके पर ट्रैक्टर के अलावा अन्य कोई वाहन खड़ा न होने का कथन किया है, वहीं अन्य 3–4 लोगों के मौके पर पहुंचने में प्रयुक्त वाहन के संबंध में पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार ने मोटरसाईकिलों का प्रयोग होने और गवाहान के मौके पर 15–20

मिनिट तक रुके रहने का कथन किया है, जोकि आपस में एक साम्य स्थापित न करने वाले कथन हैं, अतएव उक्त कथन स्पष्टतया साक्षीगण की साक्ष्य को तारतम्यहीन व विरोधाभास से परिपूर्ण बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वनसनीय न होने के कारण संपूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद है।

24– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के तौर पर दाखिल जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप–जिलाधिकारी, तहसीलदार व वन मण्डलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना–पत्रों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों में चकरोड व रास्ते पर अवैध कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद है और दोनों पक्ष एक–दूसरे के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र देते रहे हैं। अतः घटना से सम्बन्धित विवरण में विभिन्न विसंगतियां होने, साक्षियों के बयानों में कथित घटना में प्रयुक्त औजार के बिन्दु पर कोई कथन न किये जाने, घटना के समय के बिन्दु पर भिन्नता व विरोधाभास होने, घटना की रिपोर्ट विलंब से 14 दिन के बाद दर्ज कराये जाने के संबंध में वादी द्वारा विवेचक के समक्ष पिताजी के बीमार होने का बयान देने व न्यायालय के समक्ष पत्नी के बीमार होने का बयान देने एवं तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार व पी०डब्लू०–2 भजन लाल की प्रतिपरीक्षा में अत्यधिक विरोधाभास दर्शित होने के आधार पर अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

न्यायालय अमीन द्वारा घटना दिनांक 14.09.2011 को प्रातःकाल 05.30 बजे ही मौके पर सिविल मामले में मुआयने हेतु पहुंच जाने का कथन पी०डब्लू०–2 भजन लाल द्वारा किया गया है, जोकि स्वाभाविक नहीं है। पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा का घटना दिनांक 14.09.2011 को न्यायालय अमीन के मौके पर सुबह 11 बजे उपस्थित आने का कथन, उसी की ओर से परीक्षित पी०डब्लू०–2 भजन लाल के अमीन के सुबह 05.30 पर उपस्थित आने के कथन से परस्पर विरोधाभासी होने के कारण उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा व पी०डब्लू०–2 भजन लाल के बयानों में दर्शित अंतर्विरोध तथा विरोधाभास अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाते हैं और इस बात को इंगित करते हैं कि साक्षी पी०डब्लू०–2 भजन लाल सिखाया–पढ़ाया गया हितबद्ध साक्षी है। अतः साक्षी पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार कुशवाहा तथा पी०डब्लू०–2 भजन लाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य व विश्वसनीय नहीं है।

25– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 उ०नि० ओंकारनाथ, एफ०आई०आर० लेखक एक औपचारिक साक्षी हैं, जिसने अपनी साक्ष्य में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, रोजनामाचा आम, आरोप–पत्र व नक्शा–नजरी को क्रमशः प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी की साक्ष्य का कथित घटना को सिद्ध करने हेतु अन्य कोई महत्व नहीं है।

26– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 हाकिम सिंह, जो इस प्रकरण के विवेचक हैं, ने अपनी साक्ष्य में इस प्रकरण की विवेचना स्वयं द्वारा किया जाना कहा है तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार करने, नकल तहरीर हिन्दी वादी, नकल रपट व बयान एफ०आई०आर० लेखक का अंकन करने, बयान वादी, बयान गवाहान आदि अंकित कर किता करने, अभियुक्तगण की तलाशी, गिरफ्तारी के प्रयास आदि विवेचनात्मक कार्यवाही का वर्णन कर आरोप–पत्र व नक्शा–नजरी की तस्दीक की है। पी०डब्लू०–4 हाकिम सिंह ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि.... **तत्पश्चात् चोरी के माल के विषय में तलाश व जानकारी किया गया,**

लेकिन पता नहीं चल पाया। साक्षी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण से ऐसा कोई चोरी का माल विवेचक बरामद नहीं कर सके, जिसे चोरी करने का आरोप अभियुक्तगण पर है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप अंतर्गत धारा 382 भा०द०सं० युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सका है।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विधिक निर्णय **दयाशंकर व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार** 2019 (2) **डी.एन.आर.** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि– **अभियोजन का यह कर्तव्य है कि अपने प्रकरण को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करे। अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं होती है कि वह बचाव को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करे।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि Tika Versus State of U.P. AIR 1974 (SC) 155 के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि– **अभियोजन को अपना मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करना अनिवार्य है, बचाव का दोष सारवान नहीं है।**

निर्णयज विधि Kali Ram Versus State of HP AIR 1973 (SC) 2773 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि -

"One of the Cardinal principles, which has always to be kept in view in our system of administration of Justice for criminal cases, is that a person arraigned as an accused is presumed to be innocent, unless that presumption of evidence, which shows him to be guilty of the offence, by which he has been charged."

27– अतएव उपरोल्लिखित समस्त साक्षीगण के बयानों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि तथ्य के साक्षीगण के बयान आपस में अत्यंत विरोधाभाषी प्रकृति के हैं, जिनमें कोई एकरूपता नहीं है। परीक्षित तथ्य के साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत सशपथ मौखिक साक्ष्य में अनेक सारवान विसंगतियाँ, विरोधाभास तथा भिन्नताएं दर्शित होती हैं, जो अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय एवं संदेहास्पद बनाती है। तथ्य के साक्षीगण के बयान में सम्यक एकरूपता व तारतम्यता की कमी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जो कथित घटना को अविश्वसनीय एवं तर्क की कसौटी पर खरा उतार पाने में सक्षम नहीं हैं। तथ्य के साक्षीगण द्वारा घटना वृतान्त में की गयी बढोत्तरी, भिन्नतायें, असामान्य व अस्वाभाविक प्रकृति के अंतर्विरोध आदि साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य को अनैसर्गिक, तारतम्यहीन, विरोधाभाषपूर्ण एवं सारवान भिन्नताओं से परिपूर्ण बनाते हैं और बचाव पक्ष के इस आक्षेपण को स्वमेव सिद्ध करते हैं कि मामले में रंजिशन अभियुक्तगण का विचारण कराया गया है।

28– अतः अभियोजन साक्षियों द्वारा कथित घटना घटित होने एवं अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किये जाने के तथ्यों को अपनी साक्ष्य द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं कराया जा सका है, लिहाजा अभियुक्तगण संदेह के लाभ के अधिकारी हैं। अतएव उपरोल्लिखित सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में, मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा व विश्लेषण उपरांत न्यायालय के मत में अभियुक्तगण कूरे, कल्लू, राकेश उर्फ किस्सू तथा हरनारायण, धारा 382 भा०द०सं० के अपराध के आरोप से संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

CNR No.-UPJS040044412012
Case no.- 1700026/2012
State Vs Koore and others.

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **कूरे** पुत्र दौलत, **कल्लू** पुत्र कूरे, **राकेश उर्फ किस्सू** पुत्र कूरे व **हरनारायण** पुत्र कूरे को दाण्डिक वाद संख्या–1700026/2012, सरकार बनाम कूरे आदि, मु०अ०सं०–171/2011, थाना बरुआसागर, जिला झांसी के मामले में धारा 382 भा०द०सं० के अपराध के आरोप से संदेह के लाभ के आधार पर **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त धारा 437–ए द०प्र०सं० के अनुपालन में मुवलिग 20,000/–रु० (बीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करे। उक्त बंधपत्र व प्रतिभूपत्र 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे, तत्पश्चात बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त समझे जायेंगे।

दिनांक– 15.07.2026 **(धीरेन्द्र कुमार)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज (जू०डि०)/
एफ०टी०सी० (14 वां वित्त आयोग), झाँसी।
J.O.Code–UP4871

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 15.07.2026 **(धीरेन्द्र कुमार)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज (जू०डि०)/
एफ०टी०सी० (14 वां वित्त आयोग), झाँसी।
J.O.Code–UP4871

हिमांशु वर्मा, आशुलिपिक।